

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 45/2019



1. रामकुमार उम्र 62 वर्ष पुत्र स्व हनुमान जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
2. मंगलराम उम्र 52 साल स्व हनुमान जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
3. मृतक ढब्लाराम स्व हनुमान जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
- 3/1 घोघडी आयु 60 साल पत्नी स्व झब्लाराम, जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
- 3/2 मोहनलाल आयु 25 साल पुत्र स्व झब्लाराम जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
- 3/3 सुनिता आयु 40 साल पुत्री स्व. झब्लाराम पत्नी प्रेम जाति गुर्जर, निवासी नांगलिया गुजरवास, तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

-अपीलार्थी

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।

- रेस्पोंडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी
उनवानी सरकार बनाम रामकुमार अंधारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 13/2018 निर्णय दिनांक 30.07.2018

उपस्थिति:-

1. श्री उम्मेदराज सैनी, एडवोकेट ----- अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, एडवोकेट----- रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

-निर्णय-

दिनांक 29.7.2019

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 30.7.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम रामकुमार मु0न0 13/2018 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि-अदालत मातहत ने अपीलांट को जमीन खसरा नंबर 781 किरम गैर मु0 बणी सरहद मौजा नांगलिया गुजरवास तहसील खेतड़ी में 20 वर्ग मीट भूमि पर मकान व चारदिवारी बना होना मानकर बेदखल करने व 50 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। पारित निर्णय खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट का विवादग्रस्त भूमि पर उसके पिता के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। सन 1997 में

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

विरुद्ध होने से खारिज होने योग्य है। अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2018 को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्टस द्वारा राजकीय भूमि खसरा खसरा नंबर 781 के रकबा 20 वर्ग मीटर में पक्के मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित कर किया गया है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है और अभी तक नियमन नहीं हुआ है। अपीलांटस को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है। लेकिन अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब नोटिस के साथ इस तरह की कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा पुराना एवं वैध साबित होता हो। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 30.07.2018 उनवानी सरकार बनाम रामकुमार मु0नं0 13/2018 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दपतर हो।



48
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

48
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुंझुनू